पीडीआईएल की निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सततता नीति

1. प्रस्तावना

1.1 निगमित सामाजिक दायित्व एक कंपनी द्वारा अपने हितधारकों की बेहतरी के लिए धन के सृजन और वितरण को सक्षम बनाते हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से संचालित करने की प्रतिबद्धता है । यह प्रतिबद्धता वैधानिक आवश्यकताओं से परे हैं । निगमित सामाजिक दायित्व, सत्तता के अभ्यास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है जो परोपकारी गतिविधियों से परे है और सामाजिक और व्यावसायिक लक्ष्यों के एकीकरण तक पहुंचता है।

हितधारकों में कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यापार भागीदार, क्लाइंट, सिविल सोसाइटी ग्रुप, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और वृहत समाज शामिल हैं। निगमित सामाजिक दायित्व और सत्तता एजेंडा आंतरिक हितधारकों (विशेष रूप से, एक कंपनी के कर्मचारी) पर समान रूप से लागू माना जाता है, और एक कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि वह अपने नियमित व्यवसाय संचालन और गतिविधियों को इसमें शामिल करें। तदनुसार, कंपनी निगमित सामाजिक दायित्व और सत्तता के सभी पहलुओं पर संतुलित नीतियों के निर्माण में विश्वास करती है- आंतरिक गतिविधियों के संचालन और प्रक्रियाओं के साथ-साथ बाहरी लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी की समान प्रतिक्रिया के संबंध में।

निगमित सामाजिक दायित्व और सततता गतिविधियों पर उनकी व्यवहार्यता, दृश्यता और ध्यान देने योग्य प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए उनके आकार के संदर्भ में कुछ परियोजना की मापनीयता पर जोर दिया जा सकता है

कंपनी सभी स्तरों पर कर्मचारियों के मूल मूल्यों में निगमित सामाजिक दायित्व और सततता की भावना और आत्मीयता को जोडने का प्रयास करेगी ताकि वह सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, संचालन और लेनदेन में पारंगत हो जाए। संस्थान के भीतर सीएसआर और सततता के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्ध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर और सततता के संदेश को फैलाने में शीर्ष प्रबंधन की व्यक्तिगत भागीदारी, अभियान, जुनून और उत्साह की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

1.2 कंपनी मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियां करेगी, जो निम्नानुसार है:

1) प्रत्येक कंपनी जिसकी:

- पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य,
- एक हजार करोड़ रुपये या इससे अधिक का कारोबार
- पांच करोड़ या उससे अधिक रुपये का शुद्ध लाभ

पिछले किन्ही तीन वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की सीएसआर कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें तीन या इससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा।

(एक असूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है)

2.योजना

2.1 अपनी वाणिज्यिक / उत्पादन इकाइयों के निकट सीएसआर और सततता परियोजनाओं का कार्यान्वयन कंपनी को लोगों, पर्यावरण और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है, जो इसके वाणिज्यिक संचालन से निकटता से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, कंपनी के लिए सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना आसान होता है। इसके अतिरिक्त इससे नियोजित गतिविधियों के कार्यान्वयन में नियमित अंतराल पर प्रगति के नियमित निरीक्षण का लाभ प्रदान करता है।

2.2 पीडीआईएल स्थानीय क्षेत्र के बाहर ऐसे पिछड़े जिले आदि के विकास के लिए सीएसआर परियोजना शुरू कर सकता है, जिसमें देश के सामाजिक आर्थिक विकास में लंबे समय तक महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। यह व्यय उस वर्ष के लिए आवंटित सीएसआर बजट का अधिकतम 15% हो सकता है।

2.3 सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी कार्य योजना (दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक) यह सुनिश्चित करते हुए बनायी जाए कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। पीडीआईएल, अपने सीएसआर और सततता प्रयास के माध्यम से, समाज में और उस समुदाय में मूल्य सृजन को बढ़ाता रहेगा जिसमें वह अपनी सेवाओं, आचरण और प्रयासों के माध्यम से संचालित होता है, ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समाज और समुदाय में, पर्यावरण की चिंता के साथ एक जिम्मेदार संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभा सके ।

3. **गतिविधियों के क्षेत्र**

3.1 कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधि को किया जाएगा।

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, रोगमुक्त स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना और केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए:

(ii) विशेष शिक्षा सहित, शिक्षा को बढावा देना और बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, और अक्षमों के पालन और आजीविका वृद्धि हेतु रोजगार के व्यवसायिक कौशल विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना;

(iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास बनाना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को कम करने हेतु उपाय;

(iv) पर्यावरणीय सततता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता हेतु स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना।

(v) महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों की मरम्मत सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण; कला के लिए कार्य, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास:

(vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;

(viii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास, राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या किसी अन्य कोष में योगदान;

(ix) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को योगदान या धन प्रदान करना ।

(x) ग्रामीण विकास परियोजना

(xi) स्लम क्षेत्र का विकास

स्पष्टीकरण ।- इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'स्लम एरिया' शब्द का अर्थ किसी भी कानून के तहत केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किए गए किसी भी क्षेत्र से होगा। "

सभी सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या (अन्य किसी संशोधन, दिशा-निर्देश और सरकार द्वारा अनुसूची vii के संबंध में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण,)

उपरोक्त सूची उदाहरणात्मक है, संपूर्ण नहीं है। सीएसआर गतिविधियों के तहत सभी गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से स्थानीय लोगों और समाज के लिए स्वीकार्य होनी चाहिए।

टिप्पणी-

1. कंपनियों द्वारा सीएसआर गतिविधियां का संचालन परियोजना / कार्यक्रम मोड में होना चाहिए। सीएसआर व्यय में आफ इवेंट के रूप में मैराथन / पुरस्कार / धर्मार्थ योगदान / विज्ञापन / टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजन आदि किया गया व्यय सीएसआर के तहत मान्य नहीं होगा।
2. भारत में किए गए सीएसआर प्रोजेक्ट या कार्यक्रम या गतिविधियां केवल सीएसआर खर्च की राशि होगी

4. प्रशिक्षण

4.1 सीएसआर और सततता गतिविधियों के जुड़े लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण और पुन: निर्देश दिया जाएगा। आधारभूत सर्वेक्षण / आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसे प्रशिक्षण,कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों, आदि और किसी कंपनी के सीएसआर और सततता एजेंडा को लागू करने के लिए कॉर्पोरेट संचार नीतियों के कार्यान्यन में संलग्न सभी हितधारकों, चाहे आंतरिक हो या बाहरी पर व्यय सीएसआर और सततता के लिए आबंटित बजट में से किया जाएगा।

जब क्षमता निर्माण संस्थानों के माध्यम से किया जाए, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने कम से कम तीन वित्तीय वर्षों का रिकॉर्ड रखा है। हालाँकि, बेसलाइन सर्वेक्षण, क्षमता निर्माण और प्रभाव मूल्यांकन पर होने वाला व्यय सीएसआर खर्च के प्रशासनिक ओवरहेड्स की 5% की समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए।

5 सीएसआर और सततता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

5.1 निगमित और इकाई (नोएडा और वदोदरा) स्तर पर कार्यक्रमों का चिन्हितकरण निम्न माध्यमों से होगा :

- व्यवसायिक संस्थानों / एजेंसियों / आंतरिक विशेषज्ञों द्वारा चिन्हितकरण अध्ययन की आवश्यकता
- स्थानीय स्तर पर क्रॉस कार्यकारी टीम द्वारा आंतरिक आवश्यकता मूल्यांकन
- जिला प्रशासनिक / स्थानीय सरकार इत्यादि द्वारा प्रस्ताव/ अनुरोध की प्राप्ति ।
- स्थानीय प्रतिनिधि / नगर निकाय/ नागरिकों का फोरम/ स्वैच्छिक एजेंसीयों/ एनजीओं द्वारा विचार विमर्श एवं अनुरोध

5.2 सीएसआर और सततता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु

सीएसआर समिति में कुल पांच सदस्य होंगें । अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगें और निदेशक वित्त, एक सरकारी निदेशक एवं दो स्वतंत्र निदेशक समिति के सदस्य के रूप मे कार्य करेंगें । समिति कंपनी की सीएसआर और सततता नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी और सीएसआर और कंपनी की सततता के एजेंडे को वांछित दिशा में आगे ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियों और पद्धतियों को तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करेगी। घोषित नीति के अनुसार सभी सीएसआर परियोजनाओं और उनपर व्यय की गयी राशि को बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। सीएसआर समिति समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करेगी।

संस्थान में सीएसआर और सततता पहल के समन्वय की सुविधा के लिए, उनके अलग-अलग प्रयासों पर प्रतिवेदित करने के लिए, विषय पर नीति निर्देश जारी करने के लिए, और इस संबंध में एक उपयुक्त कॉर्पोरेट संचार नीति तैयार करने के लिए निदेशक स्तर से एक स्तर नीचे का एक वरिष्ठ अधिकारी बोर्ड स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। नामित नोडल अधिकारी के पास समन्वय कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए अधिकारियों की एक टीम होगी, जो किसी भी तरह से सीएसआर और सततता कार्य के महत्व से विरक्त नहीं होगी ।नोडल अधिकारी की सहायता के लिए गठित अधिकारियों की टीम की संरचना निदेशक मंडल या बोर्ड स्तर की समिति द्वारा तय की जाएगी। नामित नोडल अधिकारी सीएसआर और सततता गतिविधियों के कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट नियमित रूप से बोर्ड स्तर की समिति को प्रस्तुत करेंगे।

बोर्ड स्तर की समिति और नामित नोडल अधिकारी की अधिकारियों की टीम मिलकर कंपनी के सीएसआर और सततता एजेंडा को चलाने के लिए दो- स्तरीय संगठनात्मक संरचना का गठन करेंगे।

नोएडा /वडोदरा में समिति का गठन संबंधित इकाई प्रमुखों की अध्यक्षता में किया जाएगा, जो अपनी सिफारिशें (उनके क्षेत्र में कोई भी सीएसआर और सततता गतिविधि के संचालन के संबंध में) नोएडा में नोडल अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को भेजेंगे । नोएडा में E8 ग्रेड के नोडल अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाली समिति नोएडा /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निरीक्षण कार्यालयों के आस-पास के क्षेत्रों में सीएसआर और सततता कार्यक्रमों को देखेगी। विभागाध्यक्ष (सीएसआर), नोएडा इस टीम में सदस्य होगा और समन्वयक के रूप में भी कार्य करेगा। इसके अलावा, विभागाध्यक्ष (सीएसआर) नोएडा नोडल अधिकारी की सहायता करेगा और कॉर्पोरेट स्तर पर सीएसआर और सततता कार्यकलापों से संबंधित गतिविधियों का ध्यान रखेगा। यह समिति अपने पास प्राप्त विशिष्ट सीएसआर और सततता प्रस्ताव को अपनी सिफारिश के साथ बोर्ड स्तर की समिति की स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाएगी। नामित नोडल अधिकारी सीएसआर और सततता कार्यकलापों के कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट नियमित रूप से बोर्ड स्तर की समिति को प्रस्तुत करेंगे।

5.3 परियोजना आधारित दृष्टिकोण:

बाहरी हितधारकों के लिए सीएसआर और सततता एजेंडा के तहत चुनी जाने वाली गतिविधियाँ, जहाँ तक संभव हो, परियोजना मोड में लागू की जानी चाहिए, जो नियोजित प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पादन के चरणों को पहले से ही चार्ट के रूप में दर्शाती हो और पूर्व अनुमानित संसाधनों को एकत्रित करने और आवंटित बजट और निर्धारित समयसीमा के भीतर हो। इसमें निर्दिष्ट अधिकारियों / एजेंसियों की स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही को भी शामिल करना निहित है, जिन्हें कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। असाधारण मामलों में, जहां सीएसआर और सततता गतिविधियों को परियोजना मोड में लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

पीडीआईएल सीएसआर परियोजनाओं की दीर्घकालिक सततता पर जोर देने के लिए एक परियोजना आधारित जवाबदेही दृष्टिकोण का पालन करेगा, जहां इसकी कार्य योजना लघु - अवधि ', - मध्यम अवधि और दीर्घकालिक; के रूप में मान्य होगी :

लधु अवधि - 6 माह से 1 वर्ष

मध्यम अवधि - 1 वर्ष से 2 वर्षो तक

दीर्धकालिक - 2 वर्ष और इससे अधिक- फलैगशिप कार्यक्रम

5.4 दीर्घकालिक कार्यक्रमों को चिन्हित करते समय, निम्नलिखित को परिभाषित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए:

क. कार्यक्रम का उद्देश्य

ख. बेसलाइन सर्वेक्षण / आवश्यकता मूल्यांकन - यह वह आधार प्रदान करेगा जिससे कार्यकम के परिणाम का मापन किया जा सकेगा ।

ग. कार्यान्वयन सारणी - कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा तय की जानी चाहिए।

घ. उत्तरदायित्व एवं प्राधिकारी

च. संभावित वृहत परिणाम एवं मापनयोग्य परिणाम

हालाँकि, बेसलाइन सर्वेक्षण, क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन के पश्चात प्रभाव मूल्यांकन पर होने वाला व्यय सीएसआर खर्च के प्रशासनिक ओवरहेड्स की 5% की समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए।

5.5 कई बार सीएसआर और सततता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। इन कार्य को करने के लिए अगर आंतरिक रूप से विशेषज्ञों और समर्पित कर्मचारियों की गैर-- उपलब्धता हो तो, पीडीआईएल ऐसी सीएसआर और सततता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बाहरी विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं ले सकती है।

5.6 हालाँकि, जहाँ योजनाबद्ध सीएसआर और सततता गतिविधि को व्यावसायिक नीति के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाता है और कंपनी के पास इसे करने के लिए प्रमुख क्षमता है और यह परियोजना को निष्पादित करने के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता से पूर्ण आश्वस्त है, तो पीडीआईएल अपनी मनुशक्ति और संसाधनों के साथ सीएसआर और सततता गतिविधियों के क्रियान्वयन में लग सकता है । ऐसे मामले में प्रयास किया जाएगा कि निगरानी किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कंपनी के किसी अधिकारी के सहयोग से की जाए। निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए मूल्यांकन एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी को सौंपा जा सकता है । वृहत परियोजनाओं के लिए प्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य है, थ्रेश होल्ड वैल्यू सीपीएसई के बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती है। 20 लाख रूपये और इससे अधिक रूपये के परिव्यय वाली परियोजना को वृहत परियोजना के रूप में माना जाएगा

5.7 निष्पादित करने वाली एजेंसी/ भागीदार

क. समूह सीएसआर परियोजनाएं या संयुक्त सीएसआर परियोजनाएं अनुमति देती हैं, कि सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए एक ही समूह से संबंधित कंपनियां एक पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी या अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी स्थापित कर सकती हैं । कंपनियां संयुक्त रूप से सीएसआर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के संपर्क कर सकती हैं, ऐसी कंपनियां अलग से ऐसी परियोजनाओं पर रिपोर्ट कर सकती हैं।

ख. वाह्य एजेंसियों को कार्यरत या भागीदारी करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केवल ऐसी विशिष्ट एजेंसियों का चयन किया जाए जिनके पास सीएसआर परियोजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक योग्यता और निपुणता हो। ऐसी एजेंसियों की विश्वसनीयता, ईमानदारी और व्यवसायिक योग्यता की साख को भी सत्यापित किया जाना चाहिए। विशिष्ट एजेंसियों में सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वायत्त संगठन, व्यवसायिक परामर्शी संगठन, पंजीकृत ट्रस्ट / मिशन, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, - लाभ के लिए कार्य नहीं करने वाले संगठन, स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायती राज संस्थान, शैक्षणिक संस्थान आदि सम्मिलित हैं । वाह्य विशेष एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों को कार्यरत करने का निर्णय कंपनी का विवेकाधिकार है ।

5.8 कार्यान्वयन एजेंसी के चिन्हितकरण का मानदंड

कार्यक्रमों को चिन्हित करते समय संबंधित कार्यालय / इकाई उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वाह्य एजेंसी को भी चिन्हित करेंगी। अगर कार्यक्रम का कार्यान्वयन गैर सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाना है तो निम्नलिखित मानदंडों की जांच करने की आवश्यकता है:

- एनजीओ / एजेंसी का भारत में एक पंजीकृत कार्यालय / पता है;
- एनजीओ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है;
- कंपनी के पास वैध आयकर छूट प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य नहीं है परंतु यह एक अतिरिक्त लाभ के रूप में माना जाएगा।
- एनजीओ / एजेंसी के पूर्व-कार्य पुष्टि/ अनुशंसा के योग्य हैं

सीएसआर गतिविधियाँ कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों (चाहे नई हो या चालू) के अनुसार, व्यवसाय के सामान्य कार्यकलापों के अनुसार की गई गतिविधियों को छोड़कर की जाएगी ।

कंपनी का बोर्ड, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों को करने का निर्णय ले सकता है यद्यपि

क. अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ संयुक्त रूप से अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या कंपनी द्वारा स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसाइटी,

ख. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी,या एक पंजीकृत ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसाइटी:

बशर्ते कि कंपनी का बोर्ड अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को करने का निर्णय लेता है। इस उप-नियम में निर्दिष्ट के अतिरिक्त इस तरह की कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी के पास इसी तरह के कार्यक्रमों या परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड होगा; और कंपनी ने की गयी ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों को, निधि के उपयोग और निगरानी और मानीटरिंग तंत्र को विनिर्दिष्ट किया है"।

5.9 पीडीआईएल और कार्यकारी एजेंसी के मध्य अनुबंध

एक बार बोर्ड स्तर की समिति द्वारा कार्यक्रम अनुमोदित होने के पश्चात इसकी सूचना संबंधित इकाइयों को दी जाएगी और उन्हें गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर क्रियान्वयन / कार्यान्वयन करने वाली प्रत्येक एजेंसी के साथ एक अनुबंध करना होगा। इस तरह की परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर धन के उपयोग के तौर-तरीकों और निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र का उल्लेख अनुबंध में किया जाएगा।

6. निगरानी

6.1 पीडीआईएल की सीएसआर और सततता गतिविधियों / परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अनुच्छेद / अध्याय शामिल होगा जिसमें भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित तथ्य शामिल होंगें।

6.2 सीएसआर और सततता के कार्यान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश समझौता ज्ञापन का एक अंग होगा, जो प्रत्येक वर्ष पीडीआईएल और उर्वरक विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) के बीच हस्ताक्षरित होता है।

6.3 यदि किसी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बाहरी एजेंसी, यदि कोई हो, को कार्यरत किया गया हो तो परियोजना के कार्यान्वयन की सफलता का जायजा लेने हेतु कभी भी निरीक्षण का कार्य कंपनी के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6.4 हालांकि, जब सीपीएसई और उसके कर्मचारियों द्वारा सीएसआर और सततता गतिविधियों को कार्यान्वित की जाएगी, तो यह उपयुक्त होगा कि निगरानी हेतु किसी वाहय एजेंसी को भी संलग्न किया जाए । वृहत परियोजना जिसकी लागत 20 लाख रूपये या इससे अधिक है, की कार्य प्रगति के निष्पक्ष मूल्यांकन और कार्य के मध्य में यदि सुधार की आवश्यकता हो तो उसमें सहायक होगा ।

6.5 सीएसआर और सततता गतिविधियों की उचित और नियमित निगरानी हेतु इकाई स्तर पर गठित समिति समन्वयक को नोडल अधिकारी को अग्रसारित करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तर की समिति के समक्ष उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगा ।

7. वित्त पोषण

7.1 ऐसी सभी कंपनियां, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, सीएसआर नीति के अनुसरण हेतु किसी भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करेंगी।

यह स्पष्ट किया गया है कि औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा, सीएसआर नियमों के 3 (1) नियम के अनुसार, निवल मूल्य, टर्नओवर या विदेशी कंपनी के शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की मद (क) उप-खंड (1) की धारा 381 और धारा 198 के अनुसार तैयार किये तुलन पत्र, कंपनी के लाभ और हानि खाते के अनुसार की जाएगी।

7.2 प्रत्येक कंपनी के बोर्ड को उप खंड(1) में संदर्भ में प्रत्येक वर्ष यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी अपनी सीएसआर और सततता नीति के अनुसरण पर पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान अर्जित किये गये औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करेगी।

(2) बशर्ते कि कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और कार्यालय के प्रचालन के निकटवर्ती क्षेत्रों (उपरोक्त पैरा 2.2 में उल्लिखित अन्य क्षेत्रों सहित) को प्राथमिकता देगी।

इसके अतिरिक्त यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड धारा 134 के उप खंड (3) के खंड (ओ) के तहत की गई अपनी रिपोर्ट में, राशि खर्च नहीं कर पाने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा।

<u>सीपीएसईयों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2014 को जारी दिशानिर्देश</u>

अधिनियम और सीएसआर नियम के अनुसार यह उन सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य होगा जो अधिनियम की धारा 135 (1) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, सीएसआर गतिविधियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करेंगी। औसत शुद्ध लाभ का यह निर्धारित प्रतिशत हर साल अधिनियम और सीएसआर नियमों में निर्दिष्ट तरीके से खर्च किया जाना है। यदि कोई कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो उसे खर्च नहीं कर पाने के कारणों को निर्दिष्ट करना होगा। हालाँकि, सीपीएसईयों के मामले में केवल एक विशेष वर्ष में इस राशि को खर्च नहीं करने के कारणों की सूचना और व्याख्यान करना ही पर्याप्त नहीं होगा और एक विशेष वर्ष में सीएसआर राशि खत्म नहीं होगी। इसके बजाय इसे उस परियोजना के उपयोग हेतु जिसके लिए इसे आबंटित किया गया था, अगले साल में उपयोग के लिए आगे ले जाया जाएगा ।

8. बोर्ड स्तरीय समिति की शक्तियां

8.1 घोषित नीति के अनुसार सभी सीएसआर परियोजनाओं और उन पर व्यय होने वाली राशि को बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। सीएसआर समिति समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करेगी।

9. सीएसआर और सततता नीति की घोषणा एवं प्रयोज्यता

9.1 यह पुनरीक्षित नीति दिनांक 1.4.2014 से लागू होगी । लोक उद्यम विभाग द्वारा सीएसआर और सततता गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु जारी संशोधित विस्तृत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

9.2 सीएसआर और सततता विवरणिका अनुलग्नक-1 पर संलग्न है ।

10. सीएसआर की रिपोर्टिंग

10.1 इन नियमों के तहत 1 अप्रैल 2014 से या इसके बाद से कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की सीएसआर से संबंधित कंपनी के बोर्ड की विशेष रिपोर्ट अनुबंध के रूप में शामिल की जाएगी ।

10.2 सीएसआर गतिविधियों का वेबसाइट पर प्रदर्शन

कंपनी के निदेशक मंडल, सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के लिए सीएसआर नीति को मंजूरी देते हैं और इस नीति के तथ्यों का अपनी रिपोर्ट में खुलासा करेंगें और अनुबंध में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगें, यदि कोई हो ।

11. स्पष्टीकरण

11.1 यह नीति इस संबंध में बनाई गई पिछली नीति को समाप्त / ओवरराइड करेगी।

11.2 कार्मिकों और श्रमिकों (आकस्मिक या संविदात्मक) के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु उनकी रक्षा, सुरक्षा, व्यवसायिक संवर्धन और कार्य करने हेतु स्वस्थ वातावरण से संबंधित परिस्थितयों के संबंध में संबोधित करके, चाहे वह अनिवार्य हो या अन्य। हालांकि, अनिवार्य गतिविधियों पर खर्च सीएसआर के वित्तीय घटकों के लिए मान्य नहीं है।

11.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर के प्रावधानों में संशोधन हेतु जारी किये गये किसी भी परिवर्तन को कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी से इस नीति में संशोधन करने, जोड़ने, हटाने का अधिकार है।

11.4 सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष किसी कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

11.5 कंपनियों के नियमित सीएसआर स्टाफ के साथ-साथ कंपनियों के स्वयंसेवकों (विशेष रूप से कंपनी के सीएसआर पर खर्च किए गए समय / घंटों के अनुपात में) के वेतन का भुगतान सीएसआर परियोजना लागत से सीएसआर खर्च के हिस्से के रूप में किया जा सकता है।

<u>पीडीआईएल की निगमित सामाजिक दायित्व एवं सततता नीति का विवरण</u>

- पीडीआईएल निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को व्यवसाय संचालित करने के एक तरीके के रूप में मानता है, जो नैतिक प्रणाली और स्थायी प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन और एकीकरण के माध्यम से अपने हितधारकों की बेहतरी के लिए धन के सृजन और वितरण को सक्षम बनाता है।

- सीएसआर और सततता गतिविधियों को लागू करते समय, पीडीआईएल विभिन्न व्यावसायिक संचालन और गतिविधियों में संलग्न सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी, निम्न से शीर्षस्थ और शीर्षस्थ से निम्न, के लिए प्रतिबद्ध है।

- पीडीआईएल अपने व्यवसाय संचालन के पूरे जीवन काल में उपयुक्त प्रबंधन और न्यूनीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से जैव विविधता, संवेदनशील वातावरण, भूमि उपयोग और कार्यस्थल उपचार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक - राजनीतिक सततता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- पीडीआईएल अपने प्रचालन के क्षेत्र के निकट मौलिक मानवाधिकारों के साथ-साथ स्वदेशी मेजबान की संस्कृतियों के पारंपरिक अधिकारों और उनकी विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहेगा, ताकि समाज को अपने निकट पीडीआईएल जैसा संगठन होने पर गर्व महसूस हो।

- पीडीआईएल, एक जिम्मेदार निगमित इकाई के रूप में अपनी सीएसआर और सततता गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करेगा और वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा करेगा ।

(यदि गतिविधियों के क्षेत्र के अनुवाद में किसी प्रकार का संदेह होगा तो भारत के राजपत्र में प्रकाशित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII का हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा ।)